संख्याः 3903/79–5–2010–424/02टी.सी.

प्रेषक,

अनिल संत
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 02 फरवरी, 2011

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3356/15–5–2000–424/2001, दिनांक 01–9–2001 व शासनादेश संख्या–2257/15–5–2002–424/2002, दिनांक 29–6–2002 एवं शासनादेश संख्या–329/79–5–2009, दिनांक 03–2–2009 तथा अपने पत्र संख्या–गु0वि0/संसाधन केन्द्र पुनर्गठन/4722/2010–11, दिनांक 27–12–2010 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित संसाधन केन्द्र विशेषकर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र संकल्पित अपेक्षाओं के अनुरुप शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान नहीं कर रहे हैं। अतः इन संसाधन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के स्थान पर पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें।

(2) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपेक्षित शैक्षिक सपोर्ट देने में प्रायः असफल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों में समन्वयक के रुप में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं और यह प्रायः कई जनपदों में भवन प्रभारी भी बन गये हैं। इसके साथ ही 8249 शिक्षकों को इन एन0पी0आर0सी0केन्द्रों पर तैनात किये जाने से विद्यालय में पठन – पाठन कार्य हेतु शिक्षकों की कमी हो रही है। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये इन शिक्षकों को विद्यालयों में वापस भेजा जाये। उक्त शासनादेश संख्या–329/79–5–2009, दिनांक 03 फरवरी, 2009 के द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर संचालित बड़े परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्बन्धित न्याय पंचायत में संचालित समस्त विद्यालयों के लिए संकुल प्रभारी बनाये जाने के आदेश है। अतः संकुल प्रभारी को ही पदेन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक बनाया जाये जिससे किसी प्रकार की विसंगति या दोहरी व्यवस्था न्याय पंचायत स्तर पर लागू न हो।

(3) वर्तमान में विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों में 01 समन्वयक और 02 सह समन्वयक की व्यवस्था है। इनमें से 01 सह समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ शिक्षणेत्तर कार्यो के लिए ही सम्बद्ध रहते हैं । नव प्रस्तावित व्यवस्था में शिक्षणेत्तर कार्यो के लिए मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अतः विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों पर शैक्षिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 केन्द्र में 01 समन्वयक और 07 सह समन्वयक की व्यवस्था की जाये। ब्लॉक/नगर क्षेत्र स्तरीय संसाधन केन्द्रों पर शैक्षिक अनुसमर्थन के साथ–साथ शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नियोजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को पदेन बी0आर0सी0

738
3/2/11

समन्वयक बनाया जाये । यह व्यवस्था नगर क्षेत्र में लागू है। ब्लॉक स्तर पर इसे लागू करने से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षण की दोहरी व्यवस्था समाप्त होगी।

(4) नव प्रस्तावित व्यवस्था में प्रति ब्लॉक संसाधन केन्द्र 05 सहसमन्वयक की दर से 4105 अतिरिक्त सह समन्वयक एवं नगर संसाधन केन्द्र 07 सह समन्वयक की दर से 413 अतिरिक्त सह समन्वयक सहित कुल 4518 समन्वयकों की आवश्यकता होगी, किन्तु इनके लिये पृथक पद सृजन नहीं किया जायेगा, वरन यह आवश्यकता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की नवीन व्यवस्था के कारण समर्पित होने वाले 8249 शिक्षकों के पदों में से बी0आर0सी0 को स्थानान्तरित करके की जाये ।

(5) वर्तमान में 821 विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों में 01 समन्वयक और 02 सह समन्वयक की दर से 2463 तथा 59 नगर संसाधन केन्द्र पर 01 समन्वयक की दर से 59 पद सृजित हैं। इसी प्रकार न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर 8249 पद सृजित हैं। नई व्यवस्था के फलस्वरुप 880 समन्वयकों के प्रति पदेन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी पदस्थापित होगें। ब्लॉक स्तर पर 2463 पद पूर्व से ही सृजित हैं। अतः विकासखण्ड स्तर पर 2463 अतिरिक्त पदों की एवं नगर क्षेत्र स्तर पर 413 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी। यह आवश्यकता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की नवीन व्यवस्था के कारण समर्पित होने वाले 8249 शिक्षकों के पदों में से 4518 पद बी0आर0सी0 को स्थानान्तरित करके की जाये ।

(6) प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र पर 07 सह समन्वयक के जो पद होंगें, जिसमें से 01 पद समेकित शिक्षा, 01 पद वैकल्पिक/विशिष्ट शिक्षा, 01 पद विज्ञान शिक्षा, 01 पद गणित शिक्षा, 01 पद अंग्रेजी शिक्षा, 01 पद हिन्दी शिक्षा तथा 01 पद सामाजिक अध्ययन के लिए होगा

(7) बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 सह–समन्वयकों के पद हेतु निम्नवत् अर्हतायें रखी जायें –

- वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता।
- प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण का कम से कम 08 वर्ष का अनुभव।
- अवकाश ग्रहण करने में 08 वर्ष से अधिक सेवाकाल अवशेष हो।
- बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 सह–समन्वयक के पद पर वेतनमान उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समतुल्य होगा।
- बी0आर0सी0 सह–समन्वयक पद पर चयन जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा, 30 अंक गुणवत्ता अंक (हाईस्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 5%, इण्टरमीडिएट में प्राप्त प्रतिशत का 5%, स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 10% तथा प्रशिक्षण उपधि में लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक–पृथक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के लिये क्रमशः 5, 3 एवं 2 अंक), 20 अंक शिक्षण अनुभव (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक) तथा 10 अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित होंगे।
- समेकित शिक्षा और आउट–ऑफ–स्कूल बच्चों के लिये 02 रिसोर्स पर्सन्स/सह–समन्वयक प्रत्येक बी0आर0सी0 पर रखा जाना प्रस्तावित हैं और यह रिसोर्स पर्सन्स विशिष्ट प्रकृति के होने के कारण इसमें उसी के अनुरूप दक्षता भी होनी चाहिए। अतः ऐसे रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से किया जाना समीचीन नहीं होगा और इनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर open market से की जाय। ऐसे रिसोर्स पर्सन्स की योग्यतायें निम्नवत होंगीं :–

  1– समेकित शिक्षा हेतु संदर्भदाता/सह–समन्वयक –

  शैक्षिक अर्हता –– भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) से मान्यता प्राप्त संस्था से विकलांगता (शिक्षा) के क्षेत्र में एक वर्षीय डिप्लोमा/डिग्री।

  अथवा

  भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में बी0एड0 की डिग्री।

  वरीयता –– विकलांगता शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) के क्षेत्र कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।

  आयु ––न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष।

  2–आउट–ऑफ–स्कूल/बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु संदर्भदाता/सह–समन्वयक –

  शैक्षिक अर्हता –– प्रशिक्षित स्नातक

वरीयता ——मास्टर ऑफ सोशल वर्क/अपवंचित वर्ग के बच्चों, आउट–ऑफ–स्कूल बच्चों के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संस्था के साथ न्यूनतम 05 वर्ष फील्ड में कार्य का अनुभव।

आयु ——न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष।

(8) बी0आर0सी0 सह–समन्वयकों के चयन एवं साक्षात्कार हेतु जनपदीय चयन समिति निम्नवत् होगी –

1.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	अध्यक्ष
2.	उप प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
3.	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	सदस्य
4.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव

बी0आर0सी0 सह–समन्वयकों/रिसोर्स पर्सन्स के चयन एवं साक्षात्कार की कार्यवाही जनपद स्तर पर गठित उक्त समिति द्वारा की जायेगी तथा तदोपरान्त जिलाधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

(9) बी0आर0सी0 समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0सी0 समन्वयक का पद पदेन होगा। विकासखण्ड संसाधन केन्द्र के सह–समन्वयक/रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा और कार्य संतोषजनक होने पर 03 वर्ष के कार्यकाल की अवधि अनुमोदनोपरान्त ही बढ़ाई जा सकेगी । 06 वर्ष की सेवा के उपरान्त पुनः नवीन चयन किया जाना ही उपयुक्त होगा। रिसोर्स पर्सन के 02 पद, जिन पर नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है, उनकी नियुक्ति 01 वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी तथा संतोषजनक होने की स्थिति में वर्षानुवर्ष बढ़ायी जा सकेगी।

(10) विकासखण्ड/नगरीय और न्याय पंचायत स्तर पर संसाधन केन्द्र के समन्वयक/सह समन्वयक के समुचित वार्षिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी। विकासखण्ड समन्वयक के वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रथम आख्याता अधिकारी उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समीक्षक अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा स्वीकर्ता अधिकारी मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक होंगें। एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों एवं बी0आर0सी0 सह समन्वयकों के वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रथम आख्याता अधिकारी बी0आर0सी0 समन्वयक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, समीक्षक अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा स्वीकर्ता अधिकारी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होंगें।

(11) विकासखण्ड संसाधन केन्द्र और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के परफारमेन्स अप्रैजल हेतु वस्तुनिष्ठ प्रणाली विकसित की जायेगी। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ तीन एन0पी0आर0सी0 और राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पाँच बी0आर0सी0 का चिन्हीकरण कर उन्हें सर्टीफिकेशन/प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(12) उक्त न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रों के पुर्नगठन के संबंध में यदि पद सृजन किये जाने की आवश्यकता होगी तो तद्नुसार उनके अर्हता, वेतनमान एवं अन्य विवरणों सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

3– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4– ऊपरिसंदर्भित शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें ।

भवदीय,

अनिल संत
सचिव।

संख्या– 3903(1)/79–5–2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।

2– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ ।

3– निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।

4– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

5– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 ।

6– समस्त डायट प्राचार्य/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0 प्र0 ।

7– अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)

अनु सचिव।

27